फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री जगाराम   बनाम   विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम   पत्रावली संख्या : 75/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 03.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण मे बहस सुनी जा चुकी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा कुण्डई पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर में स्थित खाता संख्या 166 मे आराजी खसरा न. 972, 974/4 रकबा 4 बिघा का 5/9 हिस्सा रकबा 2 बिघा 4.44 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर प्रार्थी ही उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा होकर आज दिन तक काश्त करता आ रहा है। उक्त वर्णित हिस्से को प्रार्थी द्वारा पंजिकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार होकर उसी आधिपत्य में होकर उपयोग उपभोग वर्तमान में करता आ रहा है। नवीन सेटलमेंट के बाद साविक खसरा न. 972, 974 के नवीन नम्बर 1343, 1345, 1346, 1347 बने। प्रार्थी के कथनानुसार खसरा न. 1343 रकबा 0.6900 है. में से 0.0700 है., खसरा 1345 रकबा 0.7400 है. में से 0.0600 है., खसरा 1346 रकबा 0.6200 है. सम्पूर्ण, खसरा 1347 रकबा 0.5600 है. में से 0.1140 है. किता 4 रकबा 0.8640 है. भूमि पर प्रार्थी काबिज हैं। इसी अनुसार नवीन भू प्रबन्धन रेकर्ड में दर्ज होना चाहिये था लेकिन नवीन भू प्रबन्धन रेकर्ड में प्रार्थी का खाता कायम नहीं किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर लिया गया जबकि प्रार्थी उपरोक्त अनुसार खसरा न. में आज भी मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा खसरा न. 972, 974/4 रकबा 4 बिघा का वर्तमान रेकर्ड खसरा न. 1343 रकबा 0.6900 में से 0.0700, खसरा न. 1345 रकबा 0.7400 में से 0.0600, खसरा न. 1346 रकबा 0.6200 सम्पूर्ण, खसरा नं. 1347 रकबा 0.5600 में से 0.1140 कुल किता 4 रकबा 0.8640 है. भूमि बिलानाम सरकार के बजाय प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने व उसी अनुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम कुण्डई के साविक खसरा न. 972, 974/4 रकबा 4–00 बीघा भूमि खातेदार शिव सिंह पिता चतरभुज 2/5, लालसिंह पिता चतरभुज 2/5, बबू उर्फ रतनकुवर पिता चतरभुज पत्नी भैरूसिंह, धापू पत्नी किशनसिंह, मंजू पत्नी हरिसिंह 1/5 हि.ब. जाति दरोगा के नाम दर्ज रेकर्ड थी। यह कि उक्त भूमि में से प्रार्थी जगाराम पिता लखमा डांगी द्वारा नामान्तरण स. 562/दिनांक 07.04.2011 से लालसिंह पिता चतरभुज 2/5, बबू उर्फ रतनकुवर पिता चतरभुज पत्नी भैरूसिंह, धापू पत्नी किशनसिंह, मंजू पत्नी हरिसिंह 1/5 हि.ब. जाति दरोगा के हिस्से में से 5/9 हिस्सा सम्पूर्ण क्रय किया। इस प्रकार जमाबंदी में साविक खसरा न. 972–974/4 रकबा 4–00 बिघा भूमि [illegible] 43/45 जाति डांगी निवासी भमेला, लालसिंह पिता चतरभुज, बबू उर्फ रतनकुवर [illegible] धापू पत्नी किशनसिंह, मंजू पत्नी हरिसिंह 2/45 जाति [illegible] का दे. के [illegible] दर्ज रेकर्ड हुई थी। य[illegible]ीन भू–प्रबन्धन रेकर्ड में प्रार्थी का खाता काय[illegible] यह कि साविक खसरा नं. 9[illegible]/4 रकबा 4–00 बिघा का तरमीम सहित नक्शा उपलब्ध नहीं होने [illegible] आवंटन का नामान्तरण देखा गया। नामान्तरण संख्या 173/26.10.77 की फर्द पर आवंटन नक्शा बनाया हुआ है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:03:10 IST
Reason: SelfAttested

बताया कि उक्त आवंटन नक्शे अनुसार मौका निरीक्षण करने पर तथा उपस्थित लोगो
द्वारा बतायें अनुसार प्रार्थी खसरा न. 972–974/4 रकबा 4–00 बिघा के मुकाबले हाल
संवत् 2078–81 के खसरा न. 2197/1343 रकबा 0.07, खसरा नं. 2199/1345 रकबा
06 खसरा नं. 1346 रकबा 0.62 सम्पूर्ण, खसरा नं. 1347 रकबा 0.56 में से 0.1140 कुल
0.8640 है. पर काबिज है। यह कि राजस्व ग्राम कुण्डई के वर्तमान रेकर्ड जमाबंदी सम्वत्
खसरा नं. 2197/1343 रकबा 0.07, 2199/1345 रकबा 0.50, 1346 रकबा 0.62, 1347
बिलानाम सरकार दर्ज है। यह कि जमाबंदी सम्वत् 2078–81 के खसरा नं. 2197/1343
खसरा नं. 2199/1345 रकबा 0.50 में से 0.06, खसरा नं. 1346 रकबा 0.62 सम्पूर्ण, ख
रकबा 0.56 में से 0.1140 कुल किता 4 रकबा 0.8640 है. भूमि (आवंटन एवं कब्जे अनु
दर्शायी जाकर संलग्न है। यह कि गत जमाबंदी में बिलानाम रकबा 121–08 बिघा के मुक
में बिलानाम रकबा 31.93 है. दर्ज है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश
तथा नवीन सेटलमेंट के बाद साविक आराजी अनुसार प्रार्थी के नाम खाता कायम नहीं
तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि नवीन भू प्रबन्ध रेकर्ड में प्रा
कायम नहीं पाया गया साथ ही बताया कि साविक खसरा नं. 972–974/4 रकबा 4–
तरमीम सहित नक्शा उपलब्ध नहीं होने से आवंटन का नामान्तरण देखा गया। प्रार्थी द्वारा
अन्तर्गत धारा 131, 136 के तहत प्रस्तुत किया गया हैं जिसमें रोटेशन के दौरान हुई लिपि
तरमीम को सुधारे जाने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा
राजस्व अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता। अतः प्रार्थी के वाद प्रस्तुत करने के
सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम पोषणीय
अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अ
अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:10 IST
Reason: SelfAttested